ORDER SHEET

THE COURT

274 of 2017 B.A

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where
Froceeding	16_1	necessary
31/07/2017	आवेदक / आरोपी सियाशरण द्वारा श्री बी.एस. यादव अधिवक्ता ।	necessary
STINE STINE	राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी. उपस्थित। थाना गोहद चौराहा के अपराध क्रमांक—13 / 2017 धारा—25 (1)क, 27 आयुध अधिनियम सहपठित धारा—11, 13 डकैती अधिनियम की केस डायरी प्राप्त । आवेदक / आरोपी सियाशरण ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन एवं उसके मित्र अजय ने अपने शपथपत्र में आवेदनपत्र को प्रथम जमानत आवेदन बताया गया है। आवेदक के आवेदन अंतर्गत धारा 438 द.प्र.सं. पर उभयपक्ष को सुना गया ।	
	आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसे झूंठा फंसाया गया है, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस उसे गिरफतार करने के लिए प्रयत्नशील है, गिरफतारी से उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो जायेगी। अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है। अभियोजन की ओर से विरोध करते हुए आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।	SHIPE
	उभयपक्ष को सुने जाने व केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन के अनुसार दि0—30 / 01 / 2017 को भिण्ड ग्वालियर हाईवे रोड जगन्नाथ तिराहा पर सहअभियुक्त संदीप के आधिपत्य से दो अदिया 315 बोर की, 01 थैला नीले रंग का जिसमें दो 32 बोर की पिस्टलें थीं, तथा सहअभियुक्त आजाद उर्फ मास्टर के आधिपत्य से 10 कटटे 315	
	बोर के तथा 20 जिंदा कारतूस 315 बोर के मिले, जिन्हें रखने का उनके पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। वे उक्त आयुध एवं सामग्री खरीद फरोख्त के लिए रखे हुए थे तथा उक्त आयुध आवेदक/अभियुक्त सियाशरण से खरीदना पाया गया। थाना गोहद चौराहा पर अपराध क0—13/2017 अंतर्गत धारा—25 (1)क, 27 आयुध अधिनियम सहपठित धारा—11, 13 डकैती अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।	
	म.प्र. डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 की धारा—5 (1) मुताबिक डकैती अधिनियम के अपराध में अग्रिम जमानत आवेदनपत्र	

